संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र., भोपाल
Directorate, Urban Administration & Development, M.P., Bhopal
Palika Bhawan, Near 6 No. Bus Stop
Shivaji Nagar, Bhopal – 462016
Tel. 0755-2573832
Website: www.mpurban.gov.in

भोपाल, दिनांक 15/11/2025

//आदेश//

क्रमांक/स्था–01/यां.प्र./2025/23771 :: संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास रीवा संभाग रीवा द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम सिंगरौली से प्राप्त पत्र क्रमांक/5070/स्था./2025 सिंगरौली, दिनांक 12.09.2025 में उल्लेखित विषयवस्तु के अनुक्रम में कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र क्रमांक/सं.सं./स्था./पदोन्नति/सिंगरौली/2025/1903 रीवा, दिनांक 15.09.2025 से अवगत कराया गया है कि:–

1. श्रीमती शिवानी गर्ग, उपयंत्री, स्थानांनतण से नगर पालिक निगम सिंगरौली, जिला–सिंगरौली में पदस्थ है, जो मध्यप्रदेश राज्य नगरीय यांत्रिकीय सेवा की उपयंत्री है, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल द्वारा 01.04.2025 की स्थिति में जारी वरिष्ठता सूची दिनांक 19.08.2025 के वरिष्ठता क्र 243 अंकित होकर नियुक्ति दिनांक 08.08.2016 है।

2. श्रीमती शिवानी गर्ग उपयंत्री, नगर पालिक निगम सिंगरौली, जिला–सिंगैराली द्वारा अपने आवेदन दिनांक 21.08.2025 प्रस्तुत कर आवेदन में संलग्न मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री कार्यालय, म.प्र. शासन, भोपाल, म.प्र. का आदेश कमांक प्र.स./2./अ.वि./सेवा–प्रोमोशन/ई. ऑफ /2025/116–। भोपाल, दिनांक 21.08.2025 के आधार पर सहायक यंत्री के पद पर पदोन्नति संबंधी उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. जो पूर्णतः संदेहास्पदी होकर कूटरचित प्रतीत हो रहा है।

प्रकरण का परीक्षण किया गया जिसमें पाया गया कि, म.प्र. राज्य नगरीय यांत्रिकीय सेवा (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2015 की अनुसूची–चार अनुसार गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसा के आधार पर विभागीय नियमों में उपबंधित प्रक्रिया अनुसार सहायक यंत्री के पद पर पदोन्नति किया जाना प्रावधानित है, यह सही प्रतीत होता है कि श्रीमती शिवानी गर्ग द्वारा आवेदन के साथ प्रस्तुत तथा कथित पदोन्नति आदेश पूर्णतः कूटरचित प्रदर्शित हो रहा है।

उक्त प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही हेतु संचालनालय स्तर से कूटरचित पदोन्नति आदेश की जॉच कराई जाने तथा प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए संबंधित श्रीमती शिवानी गर्ग, उपयंत्री, (म.प्र. राज्य नगरीय यांत्रिकीय सेवा (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम 2015) नगर पालिक निगम सिंगरौली, जिला–सिंगरौली (म.प्र.) के विरुद्ध एफ.आई.आर कराये जाने हेतु आदेश/निर्देश पत्र जारी किये जाने का अनुरोध किया गया है।

उपरोक्त प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्यों के अनुसार श्रीमती शिवानी गर्ग, उपयंत्री द्वारा पदोन्नति से संबंधित मुख्यमंत्री कार्यालय के आदेश दिनांक 21.08.2025 के कूटरचित होने के संभावना के दृष्टिगत उक्त आदेश का सत्यापन हेतु राज्य शासन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय को प्रेषित किया गया। जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय की टीप दिनांक 01.10.2025 द्वारा उक्त आदेश जारी नहीं किये जाने का लेख करते हुए श्रीमती शिवानी गर्ग, उपयंत्री के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये है।

उक्त के अनुक्रम में श्रीमती शिवानी गर्ग, उपयंत्री द्वारा कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत करने के कारण श्रीमंती गर्ग के विरुद्ध पुलिस में प्राथमिकी दर्ज (FIR) किये जाने हेतु संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल का पत्र क्रमांक/स्था–01/यां.प्र./2025/22983 भोपाल दिनांक 04.11.2025 द्वारा आयुक्त, नगर पालिक निगम सिंगरौली को पत्र प्रेषित किया गया, जिसके तहत कार्यालय नगर पालिक निगम सिंगरौली द्वारा पत्र क्रमांक/6673/न.पा.नि./2025 सिंगरौली, दिनांक

2/–

06.11.2025 से नगर निरीक्षक, कोतवाली बैढ़न जिला–सिंगरौली को प्राथमिकी (FIR) दर्ज करने हेतु प्रेषित पत्र के तहत दिनांक 08.11.2025 को प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है, तथा संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल श्रीमती शिवानी गर्ग, उपयंत्री के विरूद्ध विभागीय जांच संस्थित की गई है।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि, श्रीमती शिवानी गर्ग, उपयंत्री, (राज्य नगरीय यांत्रिकी सेवा), वर्तमान पदस्थापना नगर पालिक निगम सिंगरौली का कृत्य मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 में वर्णित प्रावधानों के विरूद्ध पाया गया है।

अतः मध्यप्रदेश नगर पालिका सेवा (कार्यपालन) नियम, 1973 के नियम 36 तथा मध्यप्रदेश राज्य नगरीय यांत्रिकी सेवा (भर्ती एवं सेवा की शर्तें) नियम 2015 में वर्णित प्रावधानों के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।

निलंबन अवधि में श्रीमती शिवानी गर्ग, उपयंत्री, नगर पालिक निगम सिंगरौली का मुख्यालय, संभागीय कार्यालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास रीवा संभाग रीवा रहेगा तथा निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी, जो नगर पालिक निगम सिंगरौली से देय होगा। निलंबन अवधि का निराकरण विभागीय जांच के उपरांत किया जावेगा।

(संकेत भोंडवे)
आयुक्त,
नगरीय प्रशासन एवं विकास,
म.प्र. भोपाल

पृ.क्रमांक / स्था–01 / यां.प्र. / 2025 / 23772 भोपाल, दिनांक 14/11/2025

प्रतिलिपिः–

1. निज सचिव, माननीय मंत्री जी, नगरीय विकास एवं आवास, भोपाल।
2. स्टाफ आफिसर, अपर मुख्य सचिव, म.प्र. शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख अभियंता, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल।
4. कलेक्टर, जिला–सिंगरौली।
5. आयुक्त, नगर पालिक निगम सिंगरौली।
6. संभागीय संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रीवा संभाग रीवा की ओर भेज कर लेख है कि, श्रीमती शिवानी गर्ग, उपयंत्री, नगर पालिक निगम सिंगरौली के विरूद्ध आरोप पत्रादि का प्रारूप अविलंब संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र. भोपाल को उपलब्ध करावें।
7. कार्यपालन यंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास, रीवा संभाग रीवा।
8. अपर संचालक, शिकायत शाखा–6, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. श्रीमती शिवानी गर्ग, उपयंत्री, नगर पालिक निगम सिंगरौली की ओर पालनार्थ।
10. श्री अभिलाष सोनी, वेब कंटेन्ट मैनेजर, नगरीय प्रशासन एवं विकास, म.प्र. भोपाल।

आयुक्त,
नगरीय प्रशासन एवं विकास,
म.प्र. भोपाल